न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/153 /16	26.08.2016	12.06.2018

उनवान

1. मु0 सोमवती पत्नी श्री सुन्दरसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिलौरा (काला की कोठी) तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. स्वर्ण कौर पत्नी श्री जीत सिंह जाति ब्राहम्ण सिख निवासी ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादनी

2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.60 हैक्ट0 व 1802 रकबा 0.78 हैक्ट0 का 1/6 भाग वाके ग्राम खालसा नगर (पूर्व राजस्व ग्राम खिलौरा) तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। उक्त आराजी को अन्य आराजीयात खसरा नम्बर 1697 रकबा 0.50, 1719 रकबा 0.08, 1720 रकबा 0.48 व 1721 रकबा 0.38 हैक्ट0 का 1/10 हिस्सा के साथ वादनी ने रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.11.2006 के द्वारा प्रतिवादनी स्वर्णकौर के पति श्री जीत सिंह से खरीदा था। उपरोक्त विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजी में धनकौर उर्फ धनवंत कौर स्त्री अमरसिंह 1/2 हिस्सा था तथा विवादित आराजी में भी जीतसिंह के 1/6 हिस्से के साथ धनकौर उर्फ धनवंत कौर का भी 1/6 हिस्सा था। इसलिए उक्त आराजीयात को इकजाई बयनामा के द्वारा खरीद किया गया था। इसके पूर्व मु0 धनकौर उर्फ धनवंत कौर का स्वर्गवास हो गया था। जिसपर उक्त वर्णित अन्य आराजीयात की बाबत विरासत इन्तकाल सं0 221 दिनांक 13.11.2006 मु0 धनकौर उर्फ धनवंत कौर के पांच वारिसों ने अपने नाम खुलवा लिया। इसके बाद वादनी के हक में हुए बयनामा का इन्तकाल सं0 224 दिनांक 23.11.2006 को वादनी के नाम खुल गया। किन्तु इसके पश्चात मु0 धनकौर उर्फ धनवंत कौर के अन्य वारिसान ने इन्तकाल सं0 221 की अपील

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

सक्षम न्यायालय में वसीयत के आधार पर कर दी, जिसमें इन्तकाल सं0 221 को खारिज फरमा दिया गया। जिस कारण इन्तकाल सं0 223 का अमल भी कागजातमाल में नही हो सका तथा विवादित आराजी वादनी के नाम नही चढ सकी तथा आराजी मुतनाजा प्रतिवादी सं0 1 के पति श्री जीत सिंह के नाम ही दर्ज रिकार्ड रही जो अब तक दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। इन्तकाल सं0 221 खारिज होने के बाद इन्तकाल सं0 278 मु0 धनकौर उर्फ धनवंत कौर की विरासत वसीयत के आधार पर उसके वारिसों के नाम दर्ज हो गई, जिसमें विवादित आराजी को छोडकर अन्य आराजीयात उक्त वारिसो के नाम चली गई। क्योकि विवादित खसरा नम्बरों की बाबत कोई वसीयत नही की गई थी व उक्त 1/6 हिस्सा पूर्व से ही जीत सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी का था। इसलिए 1/6 हिस्से का वसीयत से कोई प्रभाव नही पडा था। उपरोक्त प्रकार से विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1801 व 1802 के 1/6 भाग की वादनी रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा बोनाफाईड पर्चेजर है। जिस पर वादनी का वक्त खरीद से मौके पर बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादनी के पति जीत सिंह, जिससे कि विवादित आराजी को वादनी ने क्रय किया था, का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादनी अपने स्वर्गीय जीतसिंह की एकमात्र वारिस काबिज जायदाद है, किन्तु जीतसिंह की विरासत अभी तक प्रतिवादनी के नाम नही खुली है तथा विवादित आराजी प्रतिवादनी सं0 1 के पति जीतसिंह के नाम कागजातमाल में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज रिकार्ड है। जिससे वादनी के हकूक जायल होते है। इसलिए वादनी जीतसिंह पुत्र अमरसिंह ब्राहम्ण सिख का नाम कागजातमाल से कलमजन करवाने की व उसके स्थान पर स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार घोषित करवाते हुए अपने नाम का अमल कागजातमाल में करवाने की कानूनन मुश्तहक है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादनी स्वीकार किया जाकर बहक वादनी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादनी को विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.60 हैक्ट0 व 1802 रकबा 0.78 हैक्ट0 का 1/6 भाग वाके ग्राम खालसा नगर (पूर्व राजस्व ग्राम खिलौरा) तहसील रामगए जिला अलवर का वादनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। और उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में जहां–जहां भी जीतसिंह पुत्र अमरसिंह का नाम दर्ज है, उस इन्द्राजात को कलमजन कराया जावे तथा उसके स्थान पर वादनी को खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जावे व तदानुसार कागजातमाल ताहाल में दुरूस्ती कराई जावें।

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ

वादनी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादनी विवादित आराजी की बोनाफाईड पर्चेजर है व मौके पर वादिनी काबिज है। वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री कर दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

वादनी ने दावे के समर्थन में हाल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072, जमाबन्दी सम्वत 2064–2067, नामान्तकरण सं0 221, 224 व 278 की प्रमाणित प्रति व बयनामा दिनांक 15.11.2006 की छायाप्रति, ग्राम पंचायत बीजवा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, जीत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र स्वर्णकौर पत्नी जीतसिंह का पेश किया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट / शिविर खिलौरा में दिनांक 12.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित आराजी को अन्य आराजीयात खसरा नम्बर 1697 रकबा 0.50, 1719 रकबा 0.08, 1720 रकबा 0.48 व 1721 रकबा 0.38 हैक्ट0 का 1/10 हिस्सा के साथ वादनी ने रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.11.2006 के द्वारा प्रतिवादनी स्वर्णकौर के पति श्री जीत सिंह से खरीदा था। विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजी में धनकौर उर्फ धनवंत कौर स्त्री अमरसिंह 1/2 हिस्सा था तथा विवादित आराजी में भी जीतसिंह के 1/6 हिस्से के साथ धनकौर उर्फ धनवंत कौर का भी 1/6 हिस्सा था। इसलिए उक्त आराजीयात को इकजाई बयनामा के द्वारा खरीद किया गया था। इसके पूर्व मु0 धनकौर उर्फ धनवंत कौर का स्वर्गवास हो गया था। जिसपर उक्त वर्णित अन्य आराजीयात की बाबत विरासत इन्तकाल सं0 221 दिनांक 13.11.2006 मु0 धनकौर उर्फ धनवंत कौर के पांच वारिसों ने अपने नाम खुलवा लिया। इसके बाद वादनी के हक में हुए बयनामा का इन्तकाल सं0 224 दिनांक 23.11.2006 को वादनी के नाम खुल गया। किन्तु इसके पश्चात मु0 धनकौर उर्फ धनवंत कौर के अन्य वारिसान ने इन्तकाल सं0 221 की अपील सक्षम न्यायालय में वसीयत के आधार पर कर दी, जिसमें इन्तकाल सं0 221 को खारिज फरमा दिया गया। जिस कारण इन्तकाल सं0 223 का अमल भी कागजातमाल में नही हो सका तथा विवादित आराजी वादनी के नाम नही चढ सकी तथा आराजी मुतनाजा प्रतिवादी सं0 1 के पति श्री जीत सिंह के नाम ही दर्ज रिकार्ड रही जो अब तक दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। इन्तकाल सं0 221 खारिज होने के बाद इन्तकाल सं0 278

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

मु0 धनकौर उर्फ धनवंत कौर की विरासत वसीयत के आधार पर उसके वारिसों के नाम दर्ज हो गई, जिसमें विवादित आराजी को छोडकर अन्य आराजीयात उक्त वारिसो के नाम चली गई। क्योकि विवादित खसरा नम्बरों की बाबत कोई वसीयत नही की गई थी व उक्त 1/6 हिस्सा पूर्व से ही जीत सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी का था। इसलिए 1/6 हिस्से का वसीयत से कोई प्रभाव नही पडा था। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1801 व 1802 के 1/6 भाग की वादनी रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा बोनाफाईड पर्चेजर है। जिस पर वादनी का वक्त खरीद से मौके पर बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादनी के पति जीत सिंह, जिससे कि विवादित आराजी को वादनी ने क्रय किया था, का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादनी अपने स्वर्गीय जीतसिंह की एकमात्र वारिस काबिज जायदाद है, किन्तु जीतसिंह की विरासत अभी तक प्रतिवादनी के नाम नही खुली है। वादनी जीतसिंह पुत्र अमरसिंह ब्राहम्ण सिख का नाम कागजातमाल से कलमजन करवाने की व उसके स्थान पर वादनी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित करते हुए अपने नाम का अमल कागजातमाल में करवाने की कानूनन मुश्तहक है।

वादनी का वाद सलंग्न दस्तावेजात के मुताबिक वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.60 हैक्ट0 व 1802 रकबा 0.78 हैक्ट0 का 1/6 भाग वाके ग्राम खालसा नगर (पूर्व राजस्व ग्राम खिलौरा) तहसील रामगढ जिला अलवर का वादनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में जहां–जहां भी जीतसिंह पुत्र अमरसिंह का नाम दर्ज है, उस इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट खिलौरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/153 /16	26.08.2016	12.06.2018

उनवान

1. मु0 सोमवती पत्नी श्री सुन्दरसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिलौरा (काला की कोठी) तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. स्वर्ण कौर पत्नी श्री जीत सिंह जाति ब्राहम्ण सिख निवासी ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादनी

2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादनी का वाद सलंग्न दस्तावेजात के मुताबिक वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.60 हैक्ट0 व 1802 रकबा 0.78 हैक्ट0 का 1/6 भाग वाके ग्राम खालसा नगर (पूर्व राजस्व ग्राम खिलौरा) तहसील रामगढ जिला अलवर का वादनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में जहां–जहां भी जीतसिंह पुत्र अमरसिंह का नाम दर्ज है, उस इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी रामगढ़